

**कार्यालय नगरपालिका मारवाड़ जंक्शन, जिला-पाली**

पंचायत समिति के सामने मारवाड़ जंक्शन -306001

क्रमांक प. () भूमि/एम्पावर्ड/2026/672

दिनांक...04/08/2026.....

एम्पावर्ड समिति बैठक कार्यवाही विवरण

श्री विक्रमसिंह राठौड़, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली की अध्यक्षता में गठित पालिका स्तरीय ले-आउट समिति की बैठक दिनांक 04/08/2026 को सांय 4.00 बजे पालिका कार्यालय में आयोजित की गई। जिसमें निम्नांकित सदस्य उपस्थित हुए :-

- | | |
|---|---------|
| 1. श्री विक्रमसिंह राठौड़, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका मारवाड़ जंक्शन, पाली | अध्यक्ष |
| 2. श्री जगदीश प्रसाद, कनिष्ठ अभियन्ता, नगर पालिका मारवाड़ जंक्शन, पाली | सदस्य |
| 3. श्री सुदर्शन सैन, कनिष्ठ लेखाकार, नगर पालिका मारवाड़ जंक्शन, पाली | सदस्य |

प्रस्ताव संख्या- 01

श्री अमराराम पुत्र श्री दुदाराम निवासी मारवाड़ जंक्शन हाल निवासी सूरत, गुजरात ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 90 क के तहत आवेदन पत्रावली मय आवेदन मानचित्र प्रस्तुत कर स्वयं के खातेदारी भूमि राजस्व ग्राम खारची के खसरा संख्या 801/2 रकबा 0.9700 हैक्टेयर (तकनीकी रूप से स्वीकृत क्षेत्रफल 9595.19 वर्ग मीटर) को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के तहत कृषि भूमि से अकृषि रूपान्तरण करवाये जाने की मांग की गई थी।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत उक्त भूमि के ले-आउट प्लान पर खसरा सुपर इम्प्रोजेशन हेतु प्रकरण तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन को भिजवाया गया। पटवारी (भूअ) खारची एवं तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा उक्त खसरा संख्या 801/2 की राजस्व भूमि को ले-आउट प्लान पर खसरा सुपरइम्प्रोज कर प्रारूप 6 में रिपोर्ट पत्र क्रमांक 86 दिनांक 09.07.2026 के द्वारा पालिका को प्रेषित की गई। खसरा सुपरइम्प्रोज अनुसार उक्त भूमि राजस्व ग्राम खारची के खसरा संख्या 801/2 भूमि का सम्पूर्ण भाग है। जिसमें किसी अन्य खातेदार की भूमि एवं राजकीय भूमि शामिल नहीं है। प्रार्थी की आवेदित भूमि खसरा संख्या 801/2 ग्राम खारची को बिन्दु सख्या ए, बी, सी, डी. ए तक लाल स्याही से अंकित कर दर्शाया गया है। तहसील कार्यालय की प्रारूप-6 की रिपोर्ट अनुसार उक्त आवेदित भूमि किसी निर्बंधित संवर्ग में नहीं है एवं न्यायालय के वाद-विवाद रहित है। तहसील कार्यालय द्वारा उक्त भूमि को गैर कृषिक प्रयोजनार्थ उपयोग लिये जाने की सहमति प्रदान की गई है।

राजस्व रिपोर्ट पश्चात् उक्त आवेदित भूमि के मानचित्र को तकनीकी राय एवं स्वीकृति हेतु पालिका पत्रांक 514 दिनांक 09.07.2026 के द्वारा प्रकरण वरिष्ठ नगर नियोजक नगर नियोजन विभाग, जोधपुर जोन जोधपुर को प्रेषित किया गया। वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर द्वारा प्रकरण में पत्र क्रमांक 23672611 दिनांक 28.07.2026 द्वारा बिन्दु सख्या 01 से 10 अनुसार प्रेषित की गई है। एवं उक्त भूमि को राजस्व रिपोर्ट एवं तकनीकी राय उपरान्त उक्त भूमि को पालिका पत्रांक 643 दिनांक 30.07.2026 के द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के तहत कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ भू-रूपान्तरण किये जाने वास्ते श्रीमान तहसीलदार, मारवाड़ जंक्शन को पत्र जारी किया जा चुका है।

निर्णय

उक्त समस्त तथ्यों के प्रकाश में समिति द्वारा प्रकरण के सम्बंध में विचार विमर्श किया गया। उक्त प्रकरण में तहसील कार्यालय मा.ज. के प्राप्त रिपोर्ट एवं ले-आउट अनुमोदन अनुसार उक्त राजस्व ग्राम खारची के खसरा संख्या 801/2 रकबा 0.9700 हैक्टेयर (तकनीकी रूप से स्वीकृत क्षेत्रफल 9595.19 वर्ग मीटर) को कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ भू-रूपान्तरण होने से उक्त भूमि ग्राम खारची को बिन्दु सख्या ए. बी. सी. डी. ए तक अनुमोदित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(जगदीश प्रसाद)

कनिष्ठ अभियन्ता

नगर पालिका मारवाड़ जंक्शन
नगरपालिका, मारवाड़ जंक्शन

(सुदर्शन सैन)

कनिष्ठ लेखाकार

नगर पालिका मारवाड़ जंक्शन
नगरपालिका, मारवाड़ जंक्शन

(विक्रमसिंह राठौड़)

अधिशाषी अधिकारी

नगर पालिका मारवाड़ जंक्शन
नगरपालिका, मारवाड़ जंक्शन

4.8.26

कमांक प. () भूमि/एम्पावर्ड/2026/673-676

दिनांक 04/08/2026

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान प्रशासक महोदय, नगर पालिका मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली।
2. कनिष्ठ अभियन्ता, नगर पालिका मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली।
3. कनिष्ठ लेखाकार, नगर पालिका मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली।
4. प्रभारी अधिकारी भूमि/भवन निर्माण शाखा, नगर पालिका मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली।



अधिशाना अधिकारी
नगर पालिका मारवाड़ जंक्शन
नगरपालिका, मारवाड़ जंक्शन

**कार्यालय नगर पालिका मारवाड़ जंक्शन (पाली)**

पंचायत समिति के सामने मारवाड़ जंक्शन -306001

दिनांक:- 07/08/2026

क्रमांक : न.पा.मा.जं./कृषि भूमि(883)/2026-27/1049

--:कार्यालय आदेश:-

नगर पालिका, मारवाड़ जंक्शन के द्वारा राजस्व ग्राम खारची के खसरा संख्या 801/2 रकबा 0.9700 हैक्टैयर (तकनीकी रूप से स्वीकृत क्षेत्रफल: 9595.19 वर्ग मीटर) भूमि में श्रीमान प्राधिकृत अधिकारी/अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका मारवाड़ जंक्शन द्वारा जरिये पालिका पत्रांक 643-646 दिनांक 30.07.2026 के द्वारा 90-ए की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। पालिका ले-आउट प्लान कमेटी क्रमांक: 672 दिनांक 04.08.2026 द्वारा ले-आउट प्लान अनुमोदन किया जा चुका है एवं नियमन स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। उक्त भूमि पर कॉलोनाइजर खातेदार आन्तरिक विकास कार्य सड़क, बिजली, पानी पार्क आदि प्रगति पर है तथा आन्तरिक विकास के समस्त कार्य एनजीसी खातेदार द्वारा आन्तरिक प्लान कमेटी क्रमांक 672 दिनांक 04.08.2026 को मध्यनजर रखते हुए तथा कोलोनाइजर द्वारा लिखित अण्डरटेकिंग लेते हुए, यह कथन किया गया है कि नियत समयावधि में उक्त आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने तक स्वीकृत योजना के भूखण्ड संख्या 27, 28, 29, 30 कुल 04 भूखण्ड पालिका के पास रहन (प्लज) रहेंगे। नियत अवधि कार्य पूरा न होने की दशा में रहनशुदा प्लॉट पालिका द्वारा विक्रय करके आन्तरिक विकास कार्य करवाने बाबत कोलोनाइजर/खातेदार ने स्वयं को पाबंद किया है।

अतः उक्त तथ्यों, अण्डरटेकिंग के आधार पर निम्न शर्तों के साथ जारी किया जाता है--

1. स्वीकृत ले-आउट प्लान में टाउनशिप पॉलिसी-2024 अनुसार समस्त आन्तरिक विकास कार्य सड़क-नाली निर्माण, स्ट्रीट लाइट, सीवरेज पाकों का विकास, पौधारोपण, विद्युतीकरण, पेयजल आपूर्ति व्यवस्था, सुविधा क्षेत्र की चार दिवारी का निर्माण आदि स्वयं कोलोनाइजर/खातेदार द्वारा स्वयं के खर्च पर करवाये जावेंगे और इत संबंध में पालिका किसी प्रकार का कार्य एवं व्यय करवाने हेतु जिम्मेवार नहीं होगी।
2. खातेदार द्वारा टाउनशिप पॉलिसी एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क यथा प्रीमियम, लीज राशि, बाह्य विकास शुल्क, बीएसयूपी एवं अन्य शुल्क निर्धारित समयावधि में जमा करवाने होंगे।
3. कोलोनाइजर/खातेदार द्वारा स्वयं के खर्च पर उपरोक्तानुसार करवाये जाने वाले आन्तरिक विकास कार्य का एक सार्वजनिक नोटिस अपने कार्यालय के बाहर एवं कॉलोनी के प्रवेश द्वार पर प्रदर्शित किया जावेगा और इस आशय की सूचना दो स्थानीय समाचार पत्रों में स्वयं के व्यय से प्रकाशित करवायी जावेगी।
4. पालिका ले-आउट प्लान कमेटी क्रमांक: 672 दिनांक 04.08.2026 को मध्य नजर रखते हुए, समस्त विकास कार्य पूर्ण होने तक स्वीकृत ले-आउट प्लान के अनुसार स्वीकृत योजना के भूखण्ड संख्या 27, 28, 29, 30 कुल 04 भूखण्ड पालिका के पास रहन रहेंगे। कोलोनाइजर/खातेदार द्वारा ज्यों-ज्यों विकास कार्य पूर्ण करवायें जायेंगे, पालिका द्वारा मौका निरीक्षण करवाकर विकास कार्यों के प्रमाणिकरण अनुसार रहन सुदा प्लॉट त्यों-त्यों रहन मुक्त किये जावेगे। नियत समयावधि में आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण नहीं होने की दशा में पालिका द्वारा रहनशुदा प्लॉट विक्रय किये जाकर आन्तरिक विकास कार्य करवायें जा सकें एवं शर्तों की पालना की जावेगी।
5. संबंधित कोलोनाइजर/खातेदारों पर 500/- रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अण्डरटेकिंग के आधार पर कोलोनाइजर द्वारा बंधक रखे गये भूखण्डों के विरुद्ध बैचान आदि करने पर नगर पालिका, मारवाड़ जंक्शन द्वारा कठोर कार्यवाही की जावेगी।
6. भूमि के स्वामित्व बाबत किसी भी प्रकार का विवाद होने संबंधी समस्त जिम्मेदारी खातेदार/कॉलोनाइजर की होगी।
7. रहन रखे गये भूखण्डों के अलावा अन्य भूखण्डों को स्वीकृत प्लान के अनुसार बैचान करें तथा आवंटियों को निर्धारित प्रारूप में आवंटन पत्र जारी कर नियमन हेतु सूची 100 रु. के स्टाम्प पर कार्यालय में प्रस्तुत की जायें।
8. कॉलोनाइजर/खातेदार को नियमानुसार RERA में पंजीयन करवाना होगा।

अधिशायी अधिकारी

नगरपालिका, मारवाड़ जंक्शन

दिनांक:- 07/08/2026

क्रमांक : न.पा.मा.जं./कृषि भूमि(883)/2026-27/1049-1052

1. खातेदार/कोलोनाइजर श्री अमराराम पुत्र श्री दुदाराम, निवासी: मारवाड़ जंक्शन हाल निवासी सुरत, गुजरात।
2. कनिष्ठ अभियंता (सिविल), नगर पालिका, मारवाड़ जंक्शन।
3. भूमि शाखा, नगर पालिका, मारवाड़ जंक्शन को रहन रखे गये भूखण्डों का नियमन नहीं करने बाबत आदेशार्थ प्रस्तुत है।
4. रक्षित पत्रावली।

अधिशायी अधिकारी
नगरपालिका, मारवाड़ जंक्शन

NORTH:



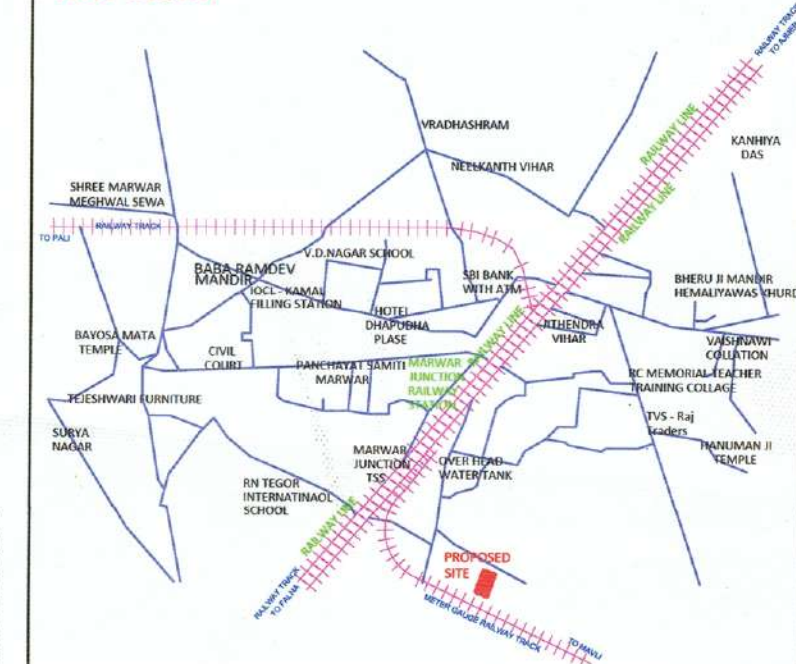
SCALE:

SCALE :- 1" = 50' FEET

LOCATION:

LATITUDE: 25.714312
LONGITUDE: 73.610890

KEY PLAN:



GOOGLE MAP:



AREA ANALYSIS:

LAND ANALYSIS			
S.NO.	TYPE	AREA (Sq.Mt.)	%
1	RESIDENTIAL	4881.15	50.32
2	INFORMAL COMMERCIAL	162.64	1.68
3	PARK	1000.00	10.31
4	FACILITY AREA	388.01	4.00
5	PUBLIC UTILITY AREA	388.01	4.00
6	ROAD	2880.19	29.69
TOTAL AREA		9700.00	100.00

- [illegible]



20/01/2026
सहायक नगर निरीक्षक
जालंधर क्षेत्र, जालंधर

28/7/20

गणित मन्त्र विद्यापीठ
जोधपुर जैन जोधपुर

SITE LAYOUT PLAN OF A TO D
LAND USE & AREA ANALYSIS C
AND MODIFICATION SHOWNAS ☒

PARTICULAR	AREA(SQ. MT)	%
RESIDENTIAL	4881.15	50.87
INFORMAL AREA	162.33	1.69
PARK	1000	10.42
FACILITY	387.67	4.04
PUBLIC UTILITY	388.33	4.05
ROAD	2775.71	28.93
TOTAL	9595.19	100.00

बिन्दुसं: ABCD का सम्बन्ध डिजील नक्शा ट्रेस से सुपर इम्पीज दिया गया।
उक्त बिन्दु डिजील नक्शा ट्रेस अनुसार ख. नं. 801/2 की ग्रामि है।
इसमें अन्य/सरकारी कसरे की ग्रामि शामिल नहीं है।

पटवारी (भू. अ.) खास
तहसील मारवाड जवराण
जिला पाली (राज.)

LAYOUT PLAN / BUILDING PLAN ~~FOR~~
APPROVED WITH CONDITIONS ~~SEE~~
OFFICE LETTER NO. _____ DATED _____
23672611 28.07.2026


(AMARARAM S/o DUDARAM)
APPLICANT'S SIGNATURE

कनिष्ठ अभियन्ता
नगरपालिका, मारवाड़ जंक्शन

एम्पर्वट समिति अनुमोदन
ले-आउट प्लान अनुमोदन हेतु एम्पर्वट क्षेत्र कार्यवाही प्रांक: 672
दिनांक: 04/08/2026 द्वारा क्षेत्र दिनांक: 04/08/2026 के प्रस्ताव सं.: 01 के
अनुसार मानचित्र बिंदु सं. A, B, C, D, A अनुमोदित किया जाता है।

कनिष्ठ अभियन्ता
नगरपालिका, मारवाड जंक्शन

Sud
कनिष्ठ लेखाकार
नगरपालिका, मारवाड जंक्शन

अध्यापक अधिकारी
बनारसपालिका, मारवाड जंक्शन